उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या:99/2017/1882/छप्पन-2017-77/2011

लखनऊ : दिनांक : 07 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 में कार्यालय ज्ञाप संख्या-71/छप्पन-2011-20/2010, दिनांक 25 फरवरी, 2011 के द्वारा विंग कमा0 एस0के0 गिरि को पायलट (रोटर विंग) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रु0 1,80,000/- (रूपए एक लाख अस्सी हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्री गिरि द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 29 फरवरी, 2016 को समाप्त हो गई थी। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष इनकी संविदा अवधि बढ़ाई गई है। अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-118/छप्पन-2016-77/2011, दिनांक 03 फरवरी, 2016 द्वारा श्री गिरि की संविदा अवधि दिनांक 01 मार्च, 2016 से दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक (अर्थात 02 वर्ष) के लिए बढ़ाई गई थी, जो दिनांक 28 फरवरी, 2018 को समाप्त हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री गिरि द्वारा अपनी संविदा अवधि अग्रेतर बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है और यह भी कहा है कि श्री गिरि द्वारा अपना कार्य निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जा रहा है। साथ ही निदेशक, नागरिक उड्डयन ने पायलट (रोटर विंग) के पद पर श्री गिरि की संविदा अवधि अग्रेतर तीन वर्ष बढ़ाने का प्रकरण शासन को संदर्भित किया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री गिरि की संविदा अवधि दिनांक 01 मार्च, 2018 से आगामी 03 वर्ष (अर्थात 28 फरवरी, 2021 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक रु0 4,96,125/- (रूपए चार लाख छियानवे हजार एक सौ पच्चीस मात्र) पर बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री गिरि को शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक एवं वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि अनुमन्य होगी।

2- श्री गिरि को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भॉति अवकाश देय होगा।

3- श्री गिरि से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

[redacted]

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

विंग कमां0 एस0के0 गिरि, (संविदा)
पायलट (रोटर विंग),
नागरिक उड्डयन निदेशालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**पृ0 संख्या-1882(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विंग कमा0 एस0 के0 गिरि से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. कार्मिक अनुभाग-1
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।